

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938 No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/CHAITRA 10, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2016

सं. फेमा. 366/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.िन. 369(अ)—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1565 GI/2016 (1)

2. अनुसूची 1 में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, मौजूदा अनुबंध 'बी' में,—

i. मौजूदा मद सं .एफ़. 7, एफ़. 7.1 और एफ़. 7.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

एफ़.7.	बीमा	% इक्विटी/एफ़डीआई की सीमा	प्रवेश मार्ग	
एफ्र.7.1	बीमा	49%	स्वचालित मार्ग से	
	(i) बीमा कंपनी		н	
	(ii) बीमा ब्रोकर			
	(iii) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर			
	(iv) सर्वेयर और हानि आकलक (loss assessors)			
	(v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, (41 का 1999) 1999के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं			
एफ़. 7.2	अन्य शर्ते :			
	(ए) कोई भी भारतीय बीमा कंपनी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों में कुल विदेशी निवेशकों की समग्र होल्डिंग अपनी (ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की) प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 49% से अधिक नहीं होने देगी;			
	(बी) भारतीय बीमा कंपनी की कुल प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 49% की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत होगा, बशर्ते बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन/सत्यापन किया गया हो।			
	(सी) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और इस शर्त के अधीन होगा कि एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियां बीमा और संबंधित गतिविधियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस/अनुमोदन प्राप्त करेंगी।			
	(डी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण समय-समय पर वित्ती सेवाएँ विभाग/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी नियमों/विनियमों के अनुसा उनके द्वारा किए गए निर्धारणानुसार हमेशा निवासी भारतीय एंटिटीयों के हाथ में रहेगा।			
	(ई) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फेमा विनियम (2), (2ए), (3) एवं (8) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमावली, 2014 के प्रावधानों के अधीन होगा।			
	(एफ़) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में किसी भी प्रका विनियमावली में दिए गए कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों		नर्व बैंक द्वारा फेमा	
	(जी) 49% तक की विदेशी ईक्विटी निवेश की सीमा बीमा ब्रोकर आकलकों तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधि अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं पर भी उल्लिखित समान शर्तों के	नेयम, 1999 (1999 का 4		

(एच) बशर्ते यह कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था के रूप में अनुमत कोई एंटिटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी। यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटिटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए।

(आई) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए "बैंकिंग-निजी क्षेत्र" संबंधी पैराग्राफ सं. एफ़ 2.2(4)(i)(b) एवं (d) के उपबंध लागू होंगे।

(जे) शब्दावली : - 'नियंत्रण', 'इक्किटी शेयर पूंजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी एंटिटी', 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' का अर्थ वही होगा जो वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा जारी 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.115(अ) में और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों में दिया गया है।

[सं. 1/11/ईएम-2016]

आर एल शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी:-मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं.406(अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013

सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014

सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015 सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015 सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015 सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015 सा.का.नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th March, 2016

No.FEMA.366/ 2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 369(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in the existing Annex B,

i. The existing entry F.7, F.7.1 and F.7.2 shall be substituted by the following:—

F.7.	Insurance	% of equity/FDI Cap	Entry route
F.7.1	Insurance (i) Insurance Company (ii) Insurance Brokers (iii) Third Party Administrators (iv) Surveyors and Loss Assessors	49%	Automatic
	(v) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)		
F.7.2	Other Conditions		
	 a) No Indian Insurance Company shall allow the aggres investment in its equity shares by foreign investors, forty-nine percent of the paid up equity capital of such its by The foreign investment up to forty-nine percent of Insurance Company shall be allowed on the automatic the Insurance Regulatory and Development Authority of Foreign investment in this sector shall be subject to Insurance Act. 1038 and the condition that Company 	including portfolio in Indian Insurance comp the total paid-up eq route subject to appro if India. compliance with the	pany. uity of the Indian oval/verification by
	Insurance Act, 1938 and the condition that Companilicense /approval from the Insurance Regulatory & undertaking insurance and related activities.	Development Auth	ority of India for
	d) An Indian Insurance Company shall ensure that its own the hands of resident Indian entities as determined Insurance Regulatory and Development Authority of Inthem from time to time	by Department of	Financial Services/
	e) Foreign portfolio investment in an Indian Insuranc provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (Regulations, 2000 and provisions of the Securities a Portfolio Investors) Regulations, 2014.	3) and (8) of Regul	ation 5 of FEMA
	f) Any increase in foreign investment in an Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the pricing guidelines specified by Reserve Bank of Indian Insurar the Indian Ins		
	g) The foreign equity investment cap of 49 percent shall Insurance Brokers, Third Party Administrators, Sur Insurance Intermediaries appointed under the provision Development Authority Act,1999 (41 of 1999).	veyors and Loss As	sessors and Other
	h) Provided that where an entity like a bank, whose prima is allowed by the Insurance Regulatory and Developm insurance intermediary, the foreign equity investme continue to apply, subject to the condition that the revo (i.e., non-insurance related) business must remain about any financial year.	nent Authority of Indi nt caps applicable in enues of such entities	a to function as an n that sector shall from their primary
	i) The provisions of paragraphs F.2.2 (4) (i) (b) & (d), respect to be applicable in respect of bank promoted insurance contains the provision of paragraphs (4) (i) (b) & (d), respect to the provision of paragraphs (4) (ii) (b) & (d), respect to the provision of paragraphs (4) (iii) (b) & (d), respect to the provision of paragraphs (4) (iii) (b) & (d), respect to the provision of paragraphs (4) (iii) (b) & (d), respect to the provision of paragraphs (4) (iii) (b) & (d), respect to the provision of paragraphs (4) (iii) (b) & (d), respect to the paragraphs (4) (iii) (b) (b) & (d), respect to the paragraphs (4) (iii) (b) (b) (b) (b	mpanies.	
	j) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian In		

'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015 issued by Department of Financial Services and regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.

[No. 1/11/EM-2016]

R. L. SHARMA, Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014

G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R. No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R. No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 829 (E) dated 21.11.2014

G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R. No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R. No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R. No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R. No. 759(E) dated 06.10.2015
G.S.R. No. 823(E) dated 30.10.2015
G.S.R. No. 858(E) dated 16.11.2015
G.S.R. No. 165(E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 166(E) dated 15.02.2016